कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), बैतूल (म.प्र.)

क्र. 16 अ–82 / 17–18 भू–अर्जन / 7256 बैतूल, दिनांक 12/06/2018

ईश्तहार

म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा जारी क्रय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा **उमरी पाण्डोल (स्टोरेज) जलाशय** के बांध कार्य हेतु निजी भूमि की आवश्यकता होने के कारण **ग्राम उमरी**, प.ह.नं. 06तहसील **आठनेर**, जिला **बैतूल** के निम्नानुसार खसरा नम्बर की भूमि आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने के प्रस्ताव पेश किए गए हैं :–

क्र.	कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. में	आवेदक विभाग द्वारा क्रय किया जाने वाला रकबा हे. में
1	2	3	4	5
1	वासुदेव व. सहादेव, जाति चम्हार, पता नि. सातनेर, भू–स्वामी	111/3	1.619	0.250
2	मालती बेवा दुलीचंद, निलेश, अलकेश व. दुलीचंद, पुरभा, सरिता, दुर्गा पिता दुलीचंद, जाति किराड़, पता नि. सातनेर	111/10	1.611	0.765
		94/2	1.856	0.323
		94/5	0.750	0.405
	योग :–		**4.217**	**1.493**
3	गोपाल, लखन व. रंगलाल, जाति किराड़, पता सा. देह भू–स्वामी	94/1	3.610	0.805
		93/1	1.194	0.207
	योग :–	-	**4.804**	**1.012**
4	कलीराम व. श्यामराव, जाति किराड़, पता निवासी जामझिरी, भू–स्वामी	94/3	1.856	1.439
	कुल योग :–	-	**12.496**	**4.194**

अतएव आवेदक जल संसाधन विभाग द्वारा **ग्राम उमरी**, तहसील **आठनेर** के उपरोक्तानुसार खसरा नंबर की कुल 4.194 **हे.** भूमि आपसी सहमति से क्रय करने के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, भैंसदेही** के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 12-6-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(शशांक मिश्र)
कलेक्टर,
बैतूल

Suyash/Eshtehaar_Jun_Bija_Umri_Pandol (6)

पृ0क0 16 अ–82/वर्ष 17–18/भू–अर्जन/7256 बैतूल दिनांक 12–06–2018
प्रतिलिपिः–

1– संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईश्तहार का प्रकाशन एक प्रदेश स्तर दैनिक एवं स्थानीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।

2– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। ईश्तहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जावें। साँथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

3– प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

4– प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु।

5– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

6– तहसीलदार आठनेर की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति कय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

7– जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

8– सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत उमरी तहसील आठनेर जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर ईश्तहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर,
बैतूल